

¹[नियम 46क : पूर्ति का बीजक—सह—बिल

नियम 46 या नियम 49 या नियम 54 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी गैररजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराधेय मालों के साथ छूट प्राप्त मालों या सेवाओं की पूर्ति करता है, तो वह ऐसी पूर्तियों के लिए एकल “पूर्ति का बीजक—सह—बिल” जारी कर सकेगा।]

²[परंतु उक्त एकल “प्रदाय का बीजक—सह—बिल” में नियम 46 या नियम 54, जैसा भी मामला हो, और नियम 49 के अधीन निर्दिष्ट विशिष्टियां शामिल होंगी।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 45/2017—केन्द्रीय कर, दिनांक 13.10.2017 द्वारा नियम 46क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 13.10.2017)।

² अधिसूचना क्रमांक 26/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।